भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 304

21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन

***304. श्रीमती संजना जाटवः**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार के संज्ञान में "फाइव मेडिसन मैन्युफैक्चर्ड इन उत्तराखण्ड फेल इन सैंपलिंग" शीर्षक वाला समाचार आया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न दवा कंपनियों की ऐसी दवाओं के नाम क्या हैं जिनका केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) द्वारा विभिन्न राज्यों में परीक्षण किया गया है;

(घ) ऐसी दवाओं के नाम और उनकी निर्माता कंपनियों के नाम क्या हैं जिनके नमूने गुणवत्ता जांच में फेल हो गए है; और

(ङ) सरकार द्वारा लाइसेंस रद्द किए जाने सहित दवा कंपनियों के विरुद्ध अब तक की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

<u>उत्तर</u>

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री

(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

21 मार्च, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 304 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की वेबसाइट पर अपलोड किए गए मासिक औषधि अलर्ट के तहत जून, 2024 में 31 औषधि नमूनों को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं (एनएसक्यू) पाया गया। इन 31 औषधियों में से 5 औषधियां उत्तराखंड में निर्मित थीं।

(ग) और (घ): विभिन्न कंपनियों की औषधियों की सूची, जिन्हें विगत तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं/नकली/गलत ब्रांड वाली/मिलावटी पाया गया है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएससीओ) की वेबसाइट (www.cdsco.gov.in) पर औषधि अलर्ट शीर्षक के अंतर्गत उपलब्ध है।

(ङ): सीडीएससीओ के तहत औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं द्वारा एनएसक्यू घोषित किए गए दवा नमूनों के मामले में, संबंधित विनिर्माण फर्मों को मानक गुणवत्ता के अनुरूप नहीं पायी गई दवाओं को तत्काल वापस लेने और बाजार में आगे वितरण से रोकने के लिए कहा जाता है। इसके अलावा, जांच के परिणाम के आधार पर, संबंधित लाइसेंसिंग अधिकारियों द्वारा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाती है, जैसे उत्पादन रोकने के आदेश, परीक्षण रोकने के आदेश, लाइसेंस निलंबन/रद्दीकरण, चेतावनी पत्र और कारण बताओ नोटिस जारी किए जाते हैं।

******